



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

### आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-285

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 287987 दिनांक 17/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kushal Chand Jain S/o	श्री गोविन्द खण्डेलवाल पुत्र श्री एन.एल. खण्डेलवाल	11	227.95 SQ. YARD	Private	RIDDHI SIDDHI ENCLAVE VISTAR Sector/Block-B	Sub Division and Reconstitution	आवेदक श्री कुशल चन्द जैन पुत्र श्री परसन चन्द जैन द्वारा निजी खातेदारी की योजना रिद्धि सिद्धि एनक्लेव विस्तार के भूखण्ड संख्या बी-11 क्षेत्रफल 227.95 व.ग. के उप-विभाजन हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या बी-11 क्षेत्रफल 227.95 व.ग. की लीजडीड दिनांक 04.07.2013 को श्री गोविन्द खण्डेलवाल पुत्र श्री एन.एल. खण्डेलवाल के पक्ष में जारी की गई हैं। तत्पश्चात दिनांक 10.07.2013 को भूखण्ड संख्या बी-11 क्षेत्रफल 227.95 व.ग. को श्री गोविन्द





## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

बी-11 क्षेत्रफल 227.95 व.ग. में से उत्तरी हिस्सा क्षेत्रफल 25 व.ग. को श्री कुशल चन्द जैन पुत्र श्री परसन चन्द जैन द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र श्री भानु प्रताप गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण चन्द गुप्ता को बेचान किया गया।
---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kushal Chand Jain S/o को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |